राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
बायोफ्यूल प्राधिकरण

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2220672 फैक्स नं. 2224754 E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in)

क्रमांक प. 6(36)/ग्रा.वि./बीएफए/कम्पनीज/2020 /2372 दिनांक : 06.07.2020

जैव ईधन (बायोडीजल बी–100) की बिक्री हेतु आम सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधीसूचना दिनांक 30.04.2019 के परिपेक्ष्य में राजस्थान राज्य में जैव ईधन (बी–100) की रिटेल बिक्री करने के लिए बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दिनांक 13.08.2019 को राजस्थान जैव ईधन नियम–2019 लागू कर दिये गये है, जिसके अन्तर्गत राज्य में जैव ईधन के विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के पंजीकरण किये जाने का प्रावधान है। इन नियमो के अन्तर्गत पंजीकृत विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का विवरण बायोफूयल प्राधिकरण की वेबसाईट www.biofuel.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

जन सामान्य को इस विज्ञप्ति के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बायोडीजल आउटलेट/डीलरशीप हेतु किसी भी कम्पनी के साथ अनुबंध करने से पूर्व उसकी वैधता आदि के संबंध में इस विभाग की वेबसाइट अथवा विभाग से जानकारी प्राप्त करें। भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर आपके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधडी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे एवं विभाग उत्तरदायी नही होगा।

राज्य में कार्यरत औद्योगिक ईकाईया, होटल, खनन ईकाईया एवं अन्य थोक उपभोक्ताओं जिनके द्वारा बायोडीजल का उपयोग बडी मात्रा में किया जाता है, को भी सूचित किया जाता है कि वे बायोफ्यूल प्राधिकरण में पंजीकृत विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं से ही बायोडीजल का क्रय करे।

6/7/2020

(सुरेन्द्र सिंह राठौड)
सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव ग्रा.वि.वि.